//निर्णय//

(आज दिनांक 19-10-22 को घोषित)

01– आरक्षी केन्द्र भाटपचलाना द्वारा आरोपी गोपाल चावड़ा के वि

अपराध कमांक 400/22 धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम अंत

अभियोग–पत्र पेश किया गया।

02– प्रकरण में आरोपी गोपाल चावड़ा पर **धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी**

अधिनियम के तहत अपराध विवरण निर्मित कर उसे पढकर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने

स्वेच्छया अपराध का किया जाना स्वीकार किया, तदानुसार उसका अभिवाक् अंकित किया गया।

03– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अभियोगपत्र, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एवं सहपत्रों तथा आरोपी द्व

ारा की गयी स्वीकारोक्ति के आधार पर आरोपी को **धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी**

अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है।

04– प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को **धारा 34 (1) (क) मध्य**

प्रदेश आबकारी अधिनियम के अंतर्गत परीविक्षा का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त अपराध साधारण प्रकृति का अपराध है, अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं प्रकरण की

परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपी को कारावास से दंडित किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं

होता है।

05– अतः आरोपी गोपाल चावड़ा को **धारा 34 (1) (क) मध्य प्रदेश आबकारी**

अधिनियम के अंतर्गत .... **के अर्थदण्ड तथा न्यायालय उठने तक** की

दंडित सजा से किया जाता है। अर्थदंड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के पृथक से साधा

कारावास से दंडित किया जाता है।

06– प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति 02 लीटर हाथ भ. शराब

जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में
दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित।

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)

अभिजीत सिंह
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
खाचरौद, जिला उज्जैन (म.प्र.)